



MAHAYOGI GURU GORAKHNATH AYUSH UNIVERSITY



Bhatahat, Gorakhpur Uttar Pradesh, India

Temp. Office: I.A.S./P.C.S. Coaching Centre, Near Prem Chand Park, Narmal Campus, Gorakhpur-273001

M: vc@mgaugkp.ac.in www.mgaugkp.ac.in

Office No.: 0551-2989819

Ref...286/2022-23

Date: 22/07/2022

सम्बद्धता आदेश

असाधारण गजट नोटिफिकेशन सं0 420/79-वि-1-20-1(क)-8-2020 लखनऊ, दिनांक- 12.03.2020 एवं संशोधित असाधारण गजट नोटिफिकेशन सं0 76/79-वि-1-21-2 (क)-1-2021 लखनऊ दिनांक 09.01.2021 द्वारा महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय, गोरखपुर अधिनियम-2020 के अध्याय-2 की धारा-5(घ) व अध्याय-5 की धारा-28 के क्रम में कॉलेज कोड संख्या AUVH022 शहीद राजा हरि प्रसाद मल्ल राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एण्ड हास्पिटल, बरहलगंज, गोरखपुर, द्वारा आनलाइन भरे गये सम्बद्धता फार्म के आधार पर, मा0 कार्य परिषद की सहमति की प्रत्याशा में, निम्नलिखित पाठ्यक्रम में विश्वविद्यालय द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अस्थाई सम्बद्धता सशर्त प्रदान की जाती है -

क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम	सीट
1.	बी.एच.एम.एस.	125 (ई.डब्ल्यू.एस.सहित)

सम्बद्धता की शर्तें निम्नवत् होंगी -

1. संस्था द्वारा राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग (एन.सी.एच.), आयुष मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा समय-समय पर दिये गये मानकों/निर्देशों का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. संस्था द्वारा एन.सी.आई.एस.एम. आयुष मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित सीट तथा प्रवेश अनुमति के बिना प्रवेश नहीं किया जायेगा।
3. संस्था द्वारा उत्तर प्रदेश शासन/विश्वविद्यालय संविधिक निकाय के निर्गत आदेशों/निर्देशों का अक्षरशः पालन किया जायेगा।
4. संस्था विश्वविद्यालय के अधिनियम एवं उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत होने वाले परिनियमों का अनिवार्य रूप से पालन करेगी।
5. संस्था द्वारा उत्तर प्रदेश शासन से निर्धारित फीस की धनराशि ही छात्रों से लिया जायेगा तथा आयुष महाविद्यालय में प्रवेश के माध्यम/विधि के सम्बन्ध में शासन द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा।
6. संस्था में प्रवेशित अभ्यर्थियों एवं रिकित्तियों की सूचना नियमानुसार निर्धारित समन्यान्तर्गत सम्बन्धित अधिकारी को उपलब्ध करायेंगे तथा इस सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत होने वाले शासनादेशों का पालन करेंगे।
7. संस्था द्वारा एन.सी.एच. आयुष मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली से समय-समय पर निर्गत किये गये मानकों/निर्देशों/आदेशों का पालन एवं मानकों की पूर्ति किये जाने की सूचना/शपथ पत्र पर समय से प्रतिवर्ष विश्वविद्यालय के कुलसचिव को प्रेषित किया जायेगा।

22/7/22

(आर0बी0 सिंह)

कुलसचिव

दिनांक: 22 जुलाई, 2022

पत्रांक: 286 (6) /2022-23

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, आयुष मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. सचिव, भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग (एन.सी.आई.एस.एम.)।

22/7/22



MAHAYOGI GURU GORAKHNATH AYUSH UNIVERSITY



Bhatahat, Gorakhpur Uttar Pradesh, India

vc@mgaugkp.ac.in www.mgaugkp.ac.in

Office No.: 0551-2989819

सं० / AUVH015 / MGAU / 2023-2024 /

Ref.....

—: सम्बद्धता आदेश :-

Date:.....

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्गत असाधारण गजट संख्या-420/79-वि-1-20-1(क)-8-2020 लखनऊ दिनांक-12.03.2020 एवं संशोधित असाधारण गजट संख्या-348/79-वि0-1-21-1-क-3-21 दिनांक-05.03.2021 द्वारा निर्गत महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय, गोरखपुर के अधिनियम-2021 के अध्याय-2 की धारा-5 (घ) व अध्याय-5 की धारा-28 के क्रम में कालेज कोड-AUVH015 शहीद राजा हरिप्रसार मल्ल स्टेट होम्योपैथिक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, बड़हलगंज, गोरखपुर को राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग, नई दिल्ली द्वारा प्रदान किये गये मान्यता के आधार पर मा0 कार्य परिषद के सहमति की प्रत्याशा में निम्नलिखित पाठ्यक्रम के संचालनार्थ सत्र 2023-2024 हेतु सशर्त अस्थायी सम्बद्धता प्रदान किया जाता है-

क्र०सं०	पाठ्यक्रम का नाम	सीटों की संख्या (ई0डब्लू0एस0 सहित)
1	बी0 एच0 एम0 एस0	125 सीट (ई.डब्लू.एस. सहित)

सम्बद्धता की शर्तें-

- संस्था/महाविद्यालय द्वारा राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा समय-समय पर दिये गये मानकों/निर्देशों का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- संस्था/महाविद्यालय द्वारा राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित सीट पर ही तथा प्रवेश अनुमति के बिना महाविद्यालय में प्रवेश नहीं किया जायेगा।
- संस्था/महाविद्यालय द्वारा उत्तर प्रदेश/विश्वविद्यालय के संविधिक निकाय के निर्गत आदेशों/निर्देशों का अक्षरशः पालन किया जायेगा।
- संस्था/महाविद्यालय विश्वविद्यालय के अधिनियम एवं उत्तर प्रदेश शासन/विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत परिनियमों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा।
- संस्था/महाविद्यालय द्वारा उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्धारित फीस की धनराशि ही छात्रों से लिया जायेगा तथा आयुष महाविद्यालय में प्रवेश के माध्यम/विधि के सम्बन्ध में शासन द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- संस्था/महाविद्यालय में प्रवेशित अभ्यर्थियों एवं रिक्तियों की सूचना नियमानुसार निर्धारित समयान्तर्गत सम्बन्धित अधिकारी को उपलब्ध करायेंगे तथा इस सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत होने वाले शासनादेशों/उच्चाधिकारियों के आदेशों का पालन करेंगे।
- संस्था/महाविद्यालय द्वारा राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली से समय-समय पर निर्गत किये गये मानकों/निर्देशों/आदेशों का अनुपालन एवं मानकों की पूर्ति किये जाने की सूचना शपथ पत्र पर समय से प्रतिवर्ष विश्वविद्यालय के कुलसचिव को प्रेषित किया जायेगा।

(आर० बी० सिंह)



MAHAYOGI GURU GORAKHNATH AYUSH UNIVERSITY



Bhatahat, Gorakhpur Uttar Pradesh, India

vc@mgaugkp.ac.in www.mgaugkp.ac.in

Office No.: 0551-2989819

Ref. सं० / AUVH015 / MGGAU / 2024-2025 /

Date:.....

:- सम्बद्धता आदेश :-

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्गत असाधारण गजट संख्या-420/79-वि-1-20-1(क)-8-2020 लखनऊ दिनांक-12.03.2020 एवं संशोधित असाधारण गजट संख्या-348/79-वि०-1-21-1-क-3-21 दिनांक-05.03.2021 द्वारा निर्गत महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय, गोरखपुर के अधिनियम-2021 के अध्याय-2 की धारा-5 (घ) व अध्याय-5 की धारा-28 के क्रम में कालेज कोड-AUVH015 शहीद राजा हरिप्रसार मल्ल स्टेट होम्योपैथिक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, बड़हलगंज, गोरखपुर को राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग, नई दिल्ली द्वारा प्रदान किये गये मान्यता के आधार पर मा० कार्य परिषद के सहमति की प्रत्याशा में निम्नलिखित पाठ्यक्रम के संचालनार्थ सत्र 2024-2025 हेतु सशर्त अस्थायी सम्बद्धता प्रदान किया जाता है-

क्र०सं०	पाठ्यक्रम का नाम	सीटों की संख्या (ई०डब्ल्यूएस० सहित)
1	बी० एच० एम० एस०	125 सीट (ई०डब्ल्यूएस० सहित)

सम्बद्धता की शर्तें-

1. संस्था/महाविद्यालय द्वारा राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा समय-समय पर दिये गये मानकों/निर्देशों का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. संस्था/महाविद्यालय द्वारा राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित सीट पर ही तथा प्रवेश अनुमति के बिना महाविद्यालय में प्रवेश नहीं किया जायेगा।
3. संस्था/महाविद्यालय द्वारा उत्तर प्रदेश/विश्वविद्यालय के संविधिक निकाय के निर्गत आदेशों/निर्देशों का अक्षरशः पालन किया जायेगा।
4. संस्था/महाविद्यालय विश्वविद्यालय के अधिनियम एवं उत्तर प्रदेश शासन/विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत परिनियमों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा।
5. संस्था/महाविद्यालय द्वारा उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्धारित फीस की धनराशि ही छात्रों से लिया जायेगा तथा आयुष महाविद्यालय में प्रवेश के माध्यम/विधि के सम्बन्ध में शासन द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा।
6. संस्था/महाविद्यालय में प्रवेशित अभ्यर्थियों एवं रिक्तियों की सूचना नियमानुसार निर्धारित समयान्तर्गत सम्बन्धित अधिकारी को उपलब्ध करायेंगे तथा इस सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत होने वाले शासनादेशों/उच्चाधिकारियों के आदेशों का पालन करेंगे।
7. संस्था/महाविद्यालय द्वारा राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली से समय-समय पर निर्गत किये गये मानकों/निर्देशों/आदेशों का अनुपालन एवं मानकों की पूर्ति किये जाने की सूचना शपथ पत्र पर समय से प्रतिवर्ष विश्वविद्यालय के कुलसचिव को प्रेषित किया जायेगा।

(आर० बी० सिंह)